

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 250]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 जून 2015—आषाढ़ 2, शक 1937

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 22 जून 2015

क्र. एफ-12-1-रा.स.-यू.ए.-5-2012.—जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 25 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपति ने उक्त धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन), (चार), (पांच) एवं (छह) के अंतर्गत जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रमण्डल में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया है:—

1. धारा 25 (1) (तीन) के अंतर्गत कृषि/शोध शिक्षा से जुड़े दो प्रथ्यात् व्यक्ति :—

1. प्रो. पंजाब सिंह,
सरस्वती कुंज, नारायणपुर,
वाराणसी (उ.प्र.)
मो.नं. 09651666613

2. डॉ. अविनाश खन्ना,
1413/बी-1, गुप्तेश्वर रोड, मदन महल,
जबलपुर (म.प्र.)
दूरभाष नं. 0761-2424715
मो.नं. 9425356963

2. अधिनियम की धारा 25 (1) (चार) के अंतर्गत राज्य के दो प्रथ्यात् प्रगतिशील कृषक :—

1. श्री महिपाल सिंह,
एम/196, ई-7, अरेसा कालोनी,
भोपाल-462016
मोबाइल-09424439369

2. श्री अशिवनी सिंह चौहान,
ग्राम/पोस्ट-पीपल्याहामा, तह. घटिया,
जिला उज्जैन.
मोबाईल-9977448851

3. अधिनियम की धारा 25 (1) (पांच) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की प्रगति से जुड़ी प्रख्यात महिला सामाजिक कार्यकर्ता :—

श्रीमती आशा अरुण यादव,
म. नं. बी-159, जयंत परियोजना,
जिला सिंगरौली-486890

4. धारा 25 (1) (छ:) के अंतर्गत पशुपालन क्षेत्र में शोध/शिक्षा का अनुभव वाला एक प्रख्यात पशुपालन वैज्ञानिक :—

1. डॉ. बी. एन. सिंह,
ए-46, पदमनाभ नगर,
भोपाल (म.प्र.)
दूरभाष नं. 0755-2759667
मो.नं. 09425354227

कुलाधिपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के उपसचिव.